GRAND HOTEL SIMLA

1620. SHRI P. N. SOLANKI: Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state:

(a) whether there is any plan to convert Grand Hotel, Simla into a Holiday home;

(b) if so, the details thereof;

(c) the present revenue being received from the contractor; and

(d) the loss which Government would incur in case the leased portion of the Grand Hotel is turned into a holiday home?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH): (a) and (b) No.

(c) Rs. 49,812·00.

(d) Does not arise, in view of (a) above.

वृहत बम्बई भत्सा जल योजना

1621. **श्री वसवंत** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वृहत बम्बई भत्सा जल योजना का अनुमोदन कर दिया है ;

(ख) क्या इस योजना के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के सदस्यों ने कोई जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है,

(ङ) इस योजना के लिये विश्व बैंक से कितना ऋण मांगा गया है; और

(च) इस बारे में विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) से (च) . वृहद् बम्बई और राजधानी क्षेत्र के बाहरी क्षेत्रों में पानी की मांग, मौजूदा स्रोतों से पानी की उपलब्धिता और भत्सा प्रोजेक्ट को जलपूर्ति का स्रोत बनाने की सम्भावनाओं के बारे में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मैसर्स बिन्नी एण्ड पार्टनर्स इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड को नियुक्त किया है । परामर्शदाताओं ने एक प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिस पर महाराष्ट्र सरकार अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से परामर्श कर विचार कर रही है । पूरी रिपोर्ट सम्भवत: दिसम्बर, 1967 के अन्त तक मिल जायेगी ।

महाराष्ट्र सरकार ने राजधानी क्षेत्र की जलपूर्ति योजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा धन दिये जाने की सम्भावना पर अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से कुछ प्रारम्भिक विचार विमर्श किया है । अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने इस विषय पर महाराष्ट्र सरकार से विचार विमर्श करने के लिए कुछ महीने पूर्व कर्मचारियों का एक दल भारत भेजा था । तदुपरान्त महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि तथा परामर्श दाता अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से बातचीत करने के लिए अमेरिका गये ।

परामर्शदाताओं से पूरी रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है और अनेक ब्यौरो पर अभी निर्णय किया जाना है । अत: विश्व बैंक से या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से कितना कर्ज लेना पड़ेगा यह बतलाना सम्भव नहीं है ।

महाराष्ट्र की पीने के पानी की योजनायें

1622. **श्री वसवन्त** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पीने के पानी की सप्लाई के बारे में महाराष्ट्र सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक कितनी योजनायें प्रस्तुत की हैं और उनके नाम क्या है; और

(ख) उन में से कितनी योजनाओं का अनुमोदन कर दिया गया है और कितनी योजनायें अभी विचाराधीन हैं?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). राष्ट्रीय जल-पूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत निरीक्षण तथा अनुमोदन के लिये महाराष्ट्र सरकार से चौथी योजना अवधि में 107 ग्राम जल-पूर्ति योजनाएं प्राप्त हुई हैं। जो कि तालिका में दी गई हैं जिसकी प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। **(पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या** LT-702/67) । इनमें से 49 योजनाएं अबतक अनुमोदित करदी गई हैं, 52 योजनाएं, भारत सरकार द्वारा दी गई टिप्पणियों के संदर्भ में संशोधन करने के लिये राज्य सरकार को वापिस भेज दी गई हैं तथा 6 योजनाओं पर केन्द्रीय जन-स्वास्थ्य इन्जीनियरी संगठन के कार्यालय में छानबीन हो रही है। चौथी योजना अवधि में अभी तक महाराष्ट्र सरकार से कोई 'शहरी' योजना प्राप्त नहीं हुई है।

इसके अतिरिक्त पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 134 ग्राम जलपूर्ति योजनाएं तथा 18 जलपूर्ति योजनाएं अनुमोदित की गई थीं। इनकी अनुमानित लागत क्रमशः 386.65 लाख तथा 355.46 लाख रुपये हैं।

राज्य सरकारों को प्रत्येक 5.00 लाख रुपये की लागत तक की ग्राम जलपूर्ति योजनाएं तथा 10.00 लाख रुपये लागत तक की नगर जलपूर्ति योजनाएं अनुमोदित तथा कार्यान्वित करने के अधिकार पहले ही दे दिये गए हैं।

आयकर बचाने वालों के विरुद्ध मुकदमे

1623. **श्री एस० एम० जोशी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन आयकर बचाने वालों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध 1963-64, 1964-65 और 1965-66 के दौरान आयकर विभाग ने मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी;

(ख) उनमें से कितने मामलों में दण्ड दिया गया, कितने मामलों में समझौता हो गया और कितने मामले बिना दण्ड दिए रद्द कर दिये गये; और

(ग) मुकदमें वाले मामलों में आयकर की कितनी बकाया राशि अन्तर्ग्रस्त थी?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) नीचे दिए अनुसार इस्तिगासे दायर किए गए थे :—

1963-64 कुछ नहीं

1964-65 13 व्यक्ति जिनके मामलों में 28 इस्तिगासे दायर किये गये हैं।

1965-66 कुछ नहीं।

(ख) न्यायालयों द्वारा किसी भी मामले में दण्ड नहीं दिया गया। एक मामले में समझौता हो गया। 20 इस्तिगासों में निचली अदालतों ने शिकायतें खारिज करदीं और उन में अपीलें दायर की गई हैं। शेष 7 इस्तिगासे अभी चल रहे हैं।

(ग) 77,95,097 रु०

CURTAILING OF EXPENDITURE BY STATES

1624. SHRI R. BARUA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been a heavy increase in expenditure of certain States after the last General Elections and they are persistently asking for more and more Central aid to meet their requirements;

(b) if so, whether Government have issued any directive to the States to curtail their expenditure; and

(c) if so, with what results ?